464

122

<u>राजस्थान सरकार</u>
<u>नगरीय विकास विभाग</u>

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 10.04.2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त राजस्थान।

विषय : प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विविध छूट दिए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी की अधिसूचनाएं।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी निम्न अधिसूचनाए सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :–

1. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12–08 दिनांक 09.04.2013 – धारा 90–ए/90–बी के अन्तर्गत नगर निकायों में निहित भूमि का नगर निकायों द्वारा आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12–05 दिनांक 09.04.2013 – नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपक्रमों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अवधिपार निष्पादित विलेखों के पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित होने के बाद पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12–07 दिनांक 09.04.2013– नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपक्रमों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेखों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(70)वित्त/कर/12–06 दिनांक 09.04.2013– राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) 2012 के अन्तर्गत दिये जाने वाले शपथ–पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
5. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(11)एफ.डी/टैक्स/2011–03 दिनांक 09.04.2013 – नगरपालिका संस्थाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन किये जाने वाले विलेख के साथ रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः से उपस्थित होने से छूट बाबत्।
6. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(19)एफ.डी/टैक्स/2007–04 दिनांक 09.04.2013 – नगरीय निकायो द्वारा आवंटित एवं विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के अमुद्रांकित तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरण किये जाने पर अन्तिम क्रेता के नाम लीज डीड जारी होने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(398)